संख्या-14/2017/ डी-289/38-2-2017-91डब्लू(डी)/2016टीसी-2

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2017**

विषय :- श्री रामराज मौर्य, सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (छंटनीशुदा कर्मचारी ए0टी0एल0) को वेतन संरक्षण का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1131/स्था0-5/अभि0/2017, दिनांक 12-04-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री रामराज मौर्य, सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जिनकी नियुक्ति आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड (ए0टी0एल0) के छंटनीशुदा कर्मी के रूप में शासन के आमेलन/नियुक्ति संख्या-सी0एम0-202/38-6-94-आईआरडी-126/94, दिनांक 03-02-1995 द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में सहायक अभियन्ता के पद पर वेतनमान रू0 2200-75-2800-द0रो0-100-4000 में हुई है, जो आटो ट्रैक्टर्स लि0 में छंटनी की तिथि को वेतनमान रू0 1020-1770 में मूल वेतन रू0 1200/- प्राप्त कर रहे थे, का वेतन सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 23-03-1995 को वेतनमान रू0 2200-75-2800-द0रो0-100-4000 में रू0 2575/- के मूल वेतन के स्तर पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-27 के अन्तर्गत संरक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। श्री मौर्य को उक्त पद/वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी होने पर देय होगी।

3- कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-3/3/3/91-का0-2/93, दिनांक 11-11-1993 में आटो ट्रैक्टर्स लि0 के छंटनीशुदा कर्मी को राजकीय सेवा में नियुक्ति पर वेतन संरक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

4- यह आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-जी(2)429/दस-2017, दिनांक 16 जून, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-14 /2017/डी-289 (1)/38-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

3- वित्त (सामान्य) अनुभाग-2/3

4- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, जनपद-फैजाबाद।

4- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद।

5- श्री रामराज मौर्य, सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ।

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।